



सम्पादकीय

# दवा के दावे

भारत में सदियों से ऋषि-मुनियों की सतत साधना से अस्तित्व में आई आयुर्वेदिक दवाओं की स्थीकार्यता रही है। जिसमें प्राकृतिक उपचार और जड़ी-बूटियों के जरिये चिकित्सा की परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती रही है। इस उपचार में आहार-विहार की बड़ी भूमिका भी रही है। लेकिन वक्त के साथ आयुर्वेदिक दवाओं का बड़ा बाजार तैयार हुआ है। इस ऋषिकर्म के कारोबार बनने के अपने खतरे हैं। पहले गरीब लोग, जो महंगे एलोपैथिक उपचार करने में सक्षम नहीं होते थे, गांव-देहात के वैद्यों से अपनी माली हालत के चलते उपचार कराते थे। लेकिन कालांतर बड़ी पूँजी के कारोबारी इस धंधे में कूदे और आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री के लिये विज्ञापनों के जरिये बड़े-बड़े दावे करने लगे। हाल ही में एलोपैथिक चिकित्सकों के एक राष्ट्रीय संगठन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके देश के एक बहुचर्चित योगी के आयुर्वेदिक उपचार के दावों की सार्थकता पर सवाल उठाये थे। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद कंपनी के कर्ताधर्ताओं को आड़े हाथ लिया। कोर्ट ने भ्रामक दावों और उससे जुड़े विज्ञापनों के खतरों की याद दिलायी। दरअसल, हर्बल उत्पादों के जरिये होने वाले उपचार के परिणामों की तुलना आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की खामियों के साथ करने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को आपत्ति थी। यही वजह है कि कोर्ट का कहना पड़ा है कि हर्बल उत्पादों का कारोबार करने वाली कंपनी के कर्ताधर्ताओं को चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली के बारे में अनावश्यक बयान देने से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चेताया कि यदि किसी बीमारी विशेष को ठीक करने वाली दवाओं के बारे में गलत ढंग से दावा किया गया तो एक करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। दरअसल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने एक याचिका में आरोप लगाया है कि विज्ञापनों में एलोपैथी को अपमानित किया गया। इसके साथ ही असत्यापित दावों के जरिये डॉक्टरों की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। जिससे आधारिक चिकित्सा प्रणाली से जड़े लोग खदू को आह्रत महस्स कर रहे

दरअसल, राजग सरकार के दौरान राजाश्रय में देश में योग व आयुर्वेद का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ है। साथ ही भारतीय परंपरागत पूरक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। भारत ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर पूरक चिकित्सा पद्धतियों में समन्वय की कोशिश की गई है। इसमें दो राय नहीं कि लगातार महंगी होती एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के भी अपने किंतु-परंतु हैं। लेकिन इसके बावजूद दवाओं की विश्वसनीयता और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े कानूनों का अतिक्रमण करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। अब चाहे वह एलोपैथिक उपचार हो या आयुर्वेद से जुड़ा उपचार। निश्चित रूप से अब चाहे आधुनिक चिकित्सा से जुड़े उत्पाद हों या आयुर्वेद से जुड़े, सबको इन्हें बढ़ावा देने का अधिकार है। लेकिन प्रचार के जरिये दूसरे की रेखा मिटाने या छोटा करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। ये कारोबार के नैतिक नियमों का भी उल्लंघन है। दरअसल, आईएमए ने अपनी याचिका में एलोपैथी और इसके चिकित्सकों के बारे में दिये गये बयानों को भ्रामक व मिथ्या दावों पर आधारित बताया था। साथ ही नियामक अधिकारियों की निष्क्रियता और उदासीनता की ओर भी इशारा किया गया। उल्लेखनीय है कि बीते साल भी कोविड-19 टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ प्रचार के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया था। निस्संदेह, शीर्ष अदालत ने अपनी गरिमा के अनुकूल कहा कि वह इस मामले को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहती। उसका मकसद सिर्फ भ्रामक विज्ञापनों का एक व्यावहारिक समाधान ढूँढ़ना ही है। इसके लिये केंद्र सरकार से व्यावहारिक उपाय पेश करने का कहा गया है। जिसमें चिकित्सा प्रणाली से जुड़े किसी भी विज्ञापन की सख्त और निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर भी बल दिया कि उपचार से जुड़े किसी भी भ्रामक विज्ञापन को तुरंत हटाया जाना चाहिए। साथ ही सख्त जुर्माना लगाया जाना चाहिए। निस्संदेह, स्वास्थ्य हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है।

## भारत-ब्रिटेन में एफटीए पर बात बढ़ी आगे

भारत और ब्रिटेन के बीच आगामी कुछ दिनों में मुक्त व्यापार वार्ता समझौते पर सहमति बनने की उम्मीद की जा रही है। दोनों ही देशों में अगले साल आम चुनाव होने हैं और भारत-ब्रिटेन के प्राधिकार चाहेंगे कि इस समझौते को इन आम चुनावों से पहले अमली जामा पहना दिया जाए। अगर ऐसा करने में सफलता मिलती है तो ब्रिटेन में सत्ताधारी पार्टी को अपने मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलेगी। भारत में इसका असर देखने को मिल सकता है। ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इस करार को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के क्रम में ये चाहते हैं कि भारत के साथ एफटीए पर अंतिम सहमति बनने से पहले हर पहलू पर अच्छे से विचार हो ताकि ब्रिटिश हितों को नुकसान नहीं पहुंचे। अभी दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार भारत के पक्ष में झुका है। भारत का निर्यात ब्रिटेन के लिए लगातार बढ़ रहा है जबकि ब्रिटेन से भारत का आयात बढ़ा तो है लेकिन अभी उसकी गति बेहद कम है। अगर मुक्त व्यापार समझौता इस साल के आखिर तक हो जाता है तो इससे दोनों देशों में आर्थिक विकास और रोजगार के मौके को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि आयात-निर्यात के बीच का ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। अगर यह समझौता हो जाता है तो भारत आयात-निर्यात के इस अंतर को बढ़ा सकता है। ब्रिटेन में भारतीय सामान की अच्छी खासी मांग रहती है जिसका दोहन भारतीय व्यापारी

# हिंदी से बढ़ता वैश्विक व्यवसाय

संजीव ठाकुर

वर्तमान में हिंदी को वैश्विक स्तर पर उपभोक्तावाद से जोड़ा गया है। और बीच-बीच में हिंदी के मध्य उर्दू और अंग्रेजी ने अपनी जगह बनाई है। आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तानी ही हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी के कई शब्द मिलाकर हिंगलिश भाषा बोली जाती है। न्यूज चौनल में न्यूज एंकर विशुद्ध हिंदी की जगह हिंगलिश ही बोलकर अपनी इतिशी कर लेते हैं। और तो और अब हिंदी के बड़ा हित्यकार भी हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्द मिलाकर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और पढ़ रहे हैं। विडंबना वाह है कि भारत में 140 उपभोक्ता नियोग करना थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे हम टी.वी. को दूरदर्शन नहीं छहते, इंटरनेट को इंटरनेट ही लिखा जाता है, अंतरराजाल नहीं लिखा जाता है, अंतरराजाल की शब्दावली हिंदी में जुड़ी हुई है, यह संचार माध्यम टी.वी. व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटर, टरनेट सीधे-सीधे उपभोक्ताओं के बाजार वाद के कारण जुड़े हुए हैं। उपभोक्ता निवास करते हैं, और उन तक पहुंचने के लिए हिंदी का प्रयोग अंग्रेजी तथा उर्दू की मिलावट के साथ किया जाता है। वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए तो हिंदुस्तानी मूल के लोग श्रीलंका, मॉरीशस, फिजी, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यू जीलैंड, साउथ अफ्रीका में फैले हुए हैं। ऐसे में हिंदी का वैश्विक विस्तार अपने आप हिंदी भारतीय अप्रवासी, प्रवासी भारतीय लोगों के माध्यम से होने लगता है। फिर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रॉस, इटली, जापान, चाइना इनके उत्पादक को भारत के उपभोक्ताओं के बीच बेचने के लिए उन्हें हिंदी की आवश्यकता होती है, भारत एक शक्तिशाली उपभोक्ता बाजार है। एक साथ एक ही जगह इतने ग्राहक मिलना किसी अन्य देश में असंभव है। इन परिस्थितियों में विश्व का हर देश अपने बनाए गए उत्पादन का बाजार खोजने भारत की ओर खिंचा चला आता है। और हिंदी को माध्यम बनाकर वह अपना माल बेचना शुरू

करता है। और इसके लिए टी,वी, इंटरनेट, कंप्यूटर, व्हाट्सएप तथा फेसबुक में हिंदी में विज्ञापन देकर उसका प्रचार प्रसार करता है। विज्ञापनों में हिंदी का व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार वैश्विक स्तर पर होने लगा है।

डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल ने भाषा शोध अध्ययन 2012 में यह दावा किया है कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। हिंदी में अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं का उपयोग करने वालों को पीछे छोड़ दिया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाए जाने का निर्णय लिया था। इसी तारतम्य में भारत में प्रत्येक पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में व्यापक स्तर पर देश की राजधानी दिल्ली चलेगी ग्राम पंचायत तक मनाया जाता है। डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा है हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द या भाषा का तिरस्कार नहीं किया। वैसे भी अंग्रेजों

के आगमन के पूर्व हिंदी देवनागरी लिपि में उर्दू तथा फारसी शब्दों का समावेश होता रहा है। अंग्रेजों के आने के बाद इसने अंग्रेजी शब्दों को भी आत्मसात किया। हिंदी एक विशाल हृदय की विशाल भाषा है। इसमें अन्य भाषा के अपब्रंश आने से हिंदी कभी मूल रूप से दिग्भ्रमित या विकृत नहीं हो पाई है। यही वजह है कि हिंदी वैश्विक स्तर पर धीरे-धीरे विस्तारित, प्रचारित एवं प्रसारित होती जा रही है। वर्तमान में विश्व में लगभग 45 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, इसकी सरलता विश्व के लोगों को प्रभावित करती जा रही है, भारत के विद्वानों, शिक्षाविदों, साहित्यकारों, कवियों, फिल्मी गीत कारों के प्रयासों से हिंदी ने वैश्विक रूप लिया है। हिंदी को वैश्विक रूप से उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए फिल्म निर्माताओं गीतकार एवं संगीत, गानों का भी बड़ा योगदान रहा है। हिंदुस्तान में बनी फिल्म को विदेशों में रह रहे भारतीय तथा अन्य भाषाई लोग उसके गीतों तथा उसके संवाद के कारण उस फिल्म को देखने


ते हैं, जिससे सीधे—सीधे भारतीय लम्कारों को विदेशी मुद्रा का अर्जन ता है। इस तरह उपभोक्तावाद, जारवाद के नजरिए से देखें तो दुस्तानी उपभोक्ताओं का बहुत बड़ा जार वैश्विक स्तर पर फैला हुआ। जिससे हिंदी भाषा न सिर्फ जारवाद की भाषा बनी है, बल्कि हित्यिक रूप से भी गीत, गजल और गानों के रूप में समृद्ध हुई है। र्मान में हिंदी न सिर्फ हिंदुस्तान में लेक वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय होती रही है। भारत में हिंदी के प्रचार तार के लिए 14 सितंबर को हिंदी वास मना कर एवं वैश्विक स्तर पर श्व हिंदी सम्मेलन अलग—अलग गों में आयोजित किया जाता रहा। इस संदर्भ में पंडित गोविंद बल्लभ ने कहा कि हिंदी के प्रचार प्रसार या विस्तार को कोई भाषा रोक नहीं कती है। हिंदी भारत की एकमात्र भी भाषा है, जिसके माध्यम से भारत विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न भाषा वासी ग आपस में अपने विचारों का दान—प्रदान सकते हैं। एनी बेसेंट हिंदी भाषा को लेकर काफी सत्य कहा है कि भारत के विभिन्न प्रांतों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में जो भाषा सबसे प्रभावशाली बन कर सामने आती है वह हिंदी है। वह व्यक्ति जो हिंदी जानता है पूरे भारत में किसी भी प्रांत की यात्रा कर सकता है और हिंदी बोलने वालों से हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार पूर्णता हिंदी में करना शुरू कर दिया। इसी तारतम्य में यदि यह कहा जाए कि हिंदी वैश्विक बाजार वाद या उपभोक्तावाद की सबसे बड़ी एवं सशक्त भाषा बन गई है, तो यह अतिरेक नहीं होगा। अंग्रेजी जरूर अंतर राष्ट्रीय भाषा है, पर हिंदी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोले जाने वाली द्वितीय भाषा तो जरूर है ही, एवं उपभोक्ताओं के लिए यह प्रथम स्थान रखती है। भारत में हिंदी भाषा सभी प्रांतों सभी राज्यों को एकता के सूत्र में पिराने वाली एक मातृभाषा स्थापित रूप से है। इसीलिए इसे राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा का वास्तविक सम्मान दिए जाने की आवश्यकता है।

# रामदेव पर सुप्रीम

याग गुरु के रूप में प्राप्ति द्वादश पाँचवें बाद आयुर्वेदिक दवाओं के व्यवसाय उत्तरे बाबा रामदेव जैसे-जैसे आयाति पाते गये, वे नये-नये विवादों भी घिरते गये हैं। प्रारम्भ में तभी उनकी सराहना हुई कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारतीयों को अपने जागरूक किया। उनके योग शिखिलालोगों ने भारी-भरकम शुल्क देकर योग सीखा। इसके बल पर उन्होंने अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। अंग्रेजी दवाओं के खिलाफ उन्होंने भारत की परम्परागत उपचारविधि पर हमला बताया। बाद में रिद्वार के अलावा विभिन्न राज्यों व वयं के आयुर्वेदिक दवाओं व गरखाने खड़े करते गये तथा एवं रह से उनके पास हर बीमारी के लाज मानों उपलब्ध था। वैसे तभी उनके इलाज एवं दवाओं को प्रारम्भिक ही आधुनिक प्रणाली के लोकों का नजर से देखते रहे हैं। उन्तु अपने प्रचार तंत्र और सत्ता

नजदाकाया क कारण उनक खलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कभी नहीं की जा सकी। अलबत्ता अब सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि को कड़ी फटकार मिली है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की ओर से दायर एक याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बैठक ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके उत्पादों को लेकर किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापन जारी किये गये तो हर विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। शीर्ष कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भविष्य में किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की सलाह देते हुए यह भी कहा कि ऐसा प्रेस बयान भी न दिया जाये जिससे कोई भ्रम फैले। वैसे सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी के बाद रामदेव ने यह आरोप लगाया कि पतंजलि के खिलाफ झग माफिया द्वारा घड़चंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि वे कोई गलत प्रचार कर रहे हैं। बुधवार को हरिद्वार में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर रामदेव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है

A photograph of Sri Sri Ravi Shankar, a spiritual leader, wearing an orange robe and holding a microphone, gesturing with his hands while speaking.



वापस आ जाये तो पेट्रोल पानी के भाव से मिलेगा और हर गांव समृद्ध होगा। उनकी भारतीय जनता पार्टी

नजदाकया बढ़ता चला गया। याया जाता है कि अनेक राज्यों में हैं दवा निर्माण के लिये फैक्ट्रियां बनाने के लिये बहुत सस्ते में जमीनें ल गयीं। हालांकि उन पर आरोप किए जाने के बावजूद अमानक होती हैं कि उनकी दवाएं अमानक होती हैं। याया बहुत से ब्रांड उन्होंने आऊटसोर्स र दिये हैं। यानी वे खुद नहीं बनाते। यह जानकर कि उनके प्रति लोगों का विश्वास व श्रद्धा इतनी है कि वे किसी भी कीमत पर उनकी दवाएं खरीद लेंगे, पतंजलि के उत्पाद वापसी महंगे होते हैं व देश भर में उनकी दवाओं की मांग है। अब उन्नदेव केवल दवा नहीं बनाते बल्कि विद्य सामग्रियां, सौंदर्य प्रसाधन का उत्पादन भी करते हैं। विदेशी संस्कृत की आलोचना करने वाले, भगवान्नद्वारी रामदेव को जीन्स के परिधि बनाने से भी परहेज नहीं रह गया। उनके उत्पादों पर कई बार विपत्तियां उठाई गईं लेकिन सत्ताध्यक्षों के समर्थन से उन पर आंच लग न आई। भ्रष्टाचार व महंगाई वे अब कुछ नहीं कहते। कोरोना वाल में भी रामदेव ने भ्रम फैलाने का कार्य किया। जब करोड़ों लोग धुनिक तकनीकों से किए गए शोध के आधार पर एलोपैथी प्रणाली के

## स्थानीय आरक्षण की बहस क्या अब खत्म होगी?

## जगारा ध्वंपक हरियाणा में स

नेजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी पीटें आरक्षित करने के राज्य सरकार ने कानून को पंजाब व हरियाणा मार्गाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने इस ममले में बहुत स्पष्ट और दो टूक फैसला सुनाया है। यहले 2022 में भी अदालत ने इस कानून पर रोक लगा दी थी लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था और सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि यह विस्तार से सुनवाई करके गुण-दोष के आधार पर इस कानून के बारे में फैसला सुनाए। सो, हाई कोर्ट के दो नजों की बैच ने विस्तार से यह मामला सुना और 83 पन्नों का फैसला लेखा। अदालत ने संविधान के कई मनुष्ठेदों के हवाले से इस कानून को भेदभाव वाला बताते हुए खारिज कर दिया। बिल्कुल इसी तरह आंध्र प्रदेश सरकार ने भी स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का कानून बनाया था। उस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि यह कानून अस्वैधानिक हो सकता है। लेकिन गुण-दोष के आधार पर उसके बारे में अंतिम फैसला नहीं आया है। कई और राज्यों में सरकारें इस तरह के कानून की तैयारी कर रही हैं क्योंकि सत्तारूढ़ दलों ने युनाव प्रचार के दौरान ऐसा वादा किया हुआ है। तभी पंजाब व हरियाणा मार्गाई कोर्ट के फैसले के बाद यह नवाल उठता है कि क्या अब स्थानीयता के आधार पर निजी क्षेत्र

बहस स्थायी तौर पर समाप्त हो जाएगी?

असल में हरियाणा की भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे उप मुख्यमंत्री दुष्टं चौटाला की पार्टी ने चुनाव में वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो हरियाणा के स्थानीय युवाओं के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों में आरक्षण का कानून बनाएंगी। 2019 के अंत में सरकार बनने के तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री ने इस वादे को पूरा करने के लिए कानून बनाने की पहल की और एक साल पूरा होने पर नवंबर 2020 में कानून बना दिया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि निजी क्षेत्र में 30 हजार रुपए मासिक वेतन से कम वाली नौकरियों में 75 फीसदी नौकरियां हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाएंगी। मार्च 2021 में राज्यपाल ने इस बिल को मंजूरी दी और 2022 की जनवरी से यह कानून लागू हो गया।

हरियाणा सरकार के इस कानून के मुताबिक राज्य में काम करने वाली हर तरह की निजी संस्था को इसके दायरे में रखा गया। सिर्फ उद्योग नहीं हर तरह की कंपनियां, संस्थाएं, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, जिनके कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे ज्यादा है उनको इसके दायरे में रखा गया। इतना ही नहीं इस कानून की धारा छह में यह प्रावधान किया गया कि कंपनियों के लिए जरूरी होगा कि वे हर तीन महीने पर अपनी रिपोर्ट सरकार को जमा

वाला तरू़ान न इस पानी पा  
तौती दी। कानून के विरोध में  
यिका देने वालों का कहना था कि  
इ कानून कर्मचारियों के संवैधानिक  
धिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने  
इ दलील भी दी थी कि निजी  
क्टर की नौकरियां पूरी तरह से  
ग्रन्ति, कौशल और काम को  
झज्जने की क्षमता के आधार पर दी  
गती हैं। उसमें धरती पुत्र के नाम  
आरक्षण करने से कंपनियों या  
द्योगों का काम प्रभावित होगा।

योग समूहों का यह भी कहना था निजी सेक्टर में क्षेत्र के आधार पर आक्षण देना संविधान की संघीयता बना के विपरीत होगा। दूसरी ओर ज्य सरकार का कहना था कि संविधान में ही इस बात का प्रावधान कि अगर सरकार को लगता है कोई खास समूह पिछड़ा है और करियों में उसका पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है तो नौकरियों में समानता सिद्धांत के बावजूद वह आक्षण व्यवस्था कर सकती है। दोस्रे पार्टी द्वारे को

पूरा करने का प्रयास भी किया। हालांकि वादा करने वाली पार्टी को भी पता है कि उसका वादा तर्कसंगत नहीं है। संविधान के अनुकूल नहीं है और न प्रतिस्पर्धा के मौजूदा दौर में निजी उद्यमों के लिए अच्छा है। यह समझने की जरूरत है कि कंपनियां या उद्योग समूह राजनीतिक दलों के बादे पूरे करने का माध्यम नहीं बन सकती हैं। उनको अगर प्रतिस्पर्धा में टिके रहना है तो योग्य, कुशल व सस्ता मजदूर या पेशेवर नहिं। एटी पार्टी द्वियांगा का

दाना पक्षा का दलाल सुनने के दौरान हाई कोर्ट ने कानून के कई विधानों का हवाला देते हुए कहा यह कानून इंस्पेक्टर राज की गली का रास्ता बनाता है। अदालत यह भी कहा कि इस कानून के लिए राज्य सरकार निजी सेक्टर के कंपनियों में नियुक्ति पर अपना पूर्ण नियंत्रण चाहती है। इस आधिकारी पर अदालत ने इस कानून को कर दिया। हालांकि यह मामला भी पर समाप्त नहीं होगा। राज्य

अपर दबाव बना सकते हैं।

# हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जलालपुर थाना अंतर्गत शुक्रवार शाम को क्षेत्र के लाहंगपुर ग्राम स्थित वाराणसी जौनपुर बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान जलालपुर पुलिस टीम ने हत्या करने वाले अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त वाहन स्वीपट डिजायर कर के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में इंस्पेक्टर राजेश यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक डा अजय पाल शर्मा के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे थे कि मुखिये से सचना मिली कि हत्या से सम्बन्धित अभियुक्तगण हत्या में प्रयुक्त वाहन स्वीपट डिजायर से वाराणसी से लखनऊ की तरफ जा रहे हैं। उक्त सचना पर बार्डर पर चार पहिया विशेषकर्मी, राकेश पासवान पुत्र कशेश वाहनों का चेकिंग किया जा रहा था जलालपुर से सम्बन्धित



वाराणसी की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे कि मुखिये से सचना मिली कि हत्या से सम्बन्धित अभियुक्तगण हत्या में प्रयुक्त वाहन स्वीपट डिजायर से वाराणसी से लखनऊ की तरफ जा रहे हैं। उक्त सचना पर बार्डर पर चार पहिया विशेषकर्मी, राकेश पासवान पुत्र कशेश वाहनों का चेकिंग किया जा रहा था

पासवान, नन्द किशोर सिंह उर्फ भोला पुत्र स्व० जमुना सिंह निवासीण ग्राम परशुराम पुर थाना अलीनगर, चन्दोली बताया गया। बीते रविवार की रात्रि में लल्लन पासवान पुत्र रामजी पासवान निवासी ग्राम परशुराम पुर थाना अलीनगर जिला चन्दोली को स्वीपट डिजायर कार से लाकर बीबन्धु थाना लालपुर जौनपुर के सई नदी पुल से हत्या के नियत से उठाकर नदी में फेंक दिये जिससे लल्लन पासवान की मृत्यु हो गयी मृतक का शव बुवधार को सई नदी ग्राम ताला मझवारा थाना जलालपुर जौनपुर में मिला था। सभी हत्या आरोपी को अभियुक्तगणों को घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## थाना समाधान दिवस में अफसरों ने सुनी फरियादियों की शिकायत

बूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के द्वारा कंपोजिट विद्यालय पंचायिटा के बूथ संख्या 205, 206 एवं इनिलश मीडियम प्राइमरी स्कूल, चौकीपुर के बूथ संख्या 213, 214, अभिनव इनिलश मीडियम प्राइमरी स्कूल जपटापुर के बूथ 95, 96, 97, आदर्श कन्या इंटर कालेज के बूथ संख्या 113, 114, 115, 116, 117

# जिलाधिकारी ने मतदान बूथों का किया निरीक्षण बीएलओ द्वारा कमी पाए जाने पर पुनः सर्वे करने का दिया निर्देश



बूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के द्वारा कंपोजिट विद्यालय पंचायिटा के बूथ संख्या 205, 206 एवं इनिलश मीडियम प्राइमरी स्कूल, चौकीपुर के बूथ संख्या 213, 214, अभिनव इनिलश मीडियम प्राइमरी स्कूल जपटापुर के बूथ 95, 96, 97, आदर्श कन्या इंटर कालेज के बूथ संख्या 113, 114, 115, 116, 117

एवं प्राथमिक विद्यालय खेतासराय के बूथ संख्या 111, 112 का निरीक्षण किया गया।

कंपोजिट विद्यालय के निरीक्षण के दौरान पाया कि बीएलओ के द्वारा किन्तने कार्यों के द्वारा शिपिटेड मतदाता और प्रधानाध्यापकों द्वारा निर्देशित किया कि बच्चों को अधिक से अधिक लेखन का अभ्यास कराये तथा बच्चों को साफ-सफाई के बारे में जागरूक करने हेतु भी निर्देशित किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी कालारी का सदर ऋषभदेव देशराज पुंडरीक, उप प्रिलियोगिता का दौरान जिलाधिकारी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष

पूर्ण हो रही है वे तथा अहं लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराये, नाम जोड़ने व दावा आपत्ति 9 दिसंबर 2023 तक प्राप्त किया जायेगा तथा 26 नवम्बर व 02, 03 दिसंबर को भी सभी मतदाता केंद्रों पर बीएलओ बैठेंगे। इस अवसर का लाभ उठाये। विशेषर 18-19 वर्ष के युवा व महिलाओं को मतदाता बनाने के लिए जागरूक करें।

इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा उक्त विद्यालयों में शिक्षकों तथा छात्रों की उपरिधित पंजीकरण के अवलोकन किया गया और प्रधानाध्यापकों द्वारा निर्देशित किया गया। इस अवसर का सदर ऋषभदेव देशराज पुंडरीक, उप प्रिलियोगिता का दौरान जिलाधिकारी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष

## प्रधानमंत्री पर पनौती शब्द का इस्तेमाल सरासर गलत: जावेद आब्दी



बूरो प्रमुख  
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव  
जौनपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आब्दी ने राहन गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए इस्तेमाल की गयी पनौती शब्द की कड़ी आलोचना करते हुए कहा।

उन्होंने हत्या के द्वारा पार्टी का बास एवं उद्देश्य है कि जिसके लिए इस्तेमाल करना है तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जावेद आब्दी शुक्रवार को मल्हनी विधानसभा के दक्षिण

किसी बरबरखा में एक चालीसवें के मजलिस में चिरकर करने के बाद पत्रकारों से बातचीत रहे थे।

उन्होंने हत्या के द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा अपरिवृत्ति की आपेक्षा की खाना पीने पहले जीवांशी है सेवे में हलाल ब्रांड के प्रतिवृत्ति करने से जनता को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि जो गरीब तबके के लोग ठेला पर नानवेज बेवकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं उनका नुकसान जरूर होगा।

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का बस एक ही उद्देश्य है कि 2024 लोकप्रकाश चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है इसके लिए केन्द्रीय नेतृत्व गठबंधन करके रणनीति तैयार कर रही है।

किसी बड़े बजुर्ग के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे उनका व उनके समर्थकों का दिल ढूटे। राजनीति वार्ता के द्वारा अपने अचिन्स्टों के द्वारा अप्रतिवृत्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके लिए इसके केन्द्रीय नेतृत्व गठबंधन करने से जनता को बदल देना चाहिए।

पहुंचकर अपनी -अपनी समस्याएँ रखी हैं। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस से संबंधित जन समस्याओं के निरसारण करने को संवृत्ति अधिकारियों को पहली प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने बारी-बारी से फरियादियों की समस्याओं को सुना। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निरसारण कर दिया गया। कुछ समस्याओं को लेकर अपने अधिनस्टों को दिशा देते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर सभी प्रार्थना पत्रों का हर हाल में निरसारण कर दिया जाये। इसमें किसी कर्मचारी को लापरवाही की तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्बोश सिंह ने पुलिस स्टॉफ को निर्देश देते हुए।

कुमार सिंह ने कहा कि, यह शासन की गई है, जिसमें विद्यालय के अधिकारी वाराणसी तथा प्रबंधक के आदेश के क्रम में यह उपरिवृत्ति अनिवार्य की गई है। इसके संदर्भ में सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है, जिन प्राध्यापकों द्वारा दिनांक 30 नवंबर तक बायोमेट्रिक उपरिवृत्ति दर्ज नहीं करायेंगे। उनका वेतन बिल प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि एक एक दिन दिवस 2023 से व्योमेट्रिक अनिवार्य रूप से लागू की गई है, एक दिवस वेतन को राहत देना चाहिए।

पहुंचकर अपनी -अपनी समस्याएँ रखी हैं। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस से संबंधित जन समस्याओं के निरसारण करने को संवृत्ति अधिकारियों को पहली प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने बारी-बारी से फरियादियों की समस्याओं को सुना। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निरसारण कर दिया गया। कुछ समस्याओं को लेकर अपने अधिनस्टों को दिशा देते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर सभी प्रार्थना पत्रों का हर हाल में निरसारण कर दिया जाये। इसमें किसी कर्मचारी को लापरवाही की तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्बोश सिंह ने पुलिस स्टॉफ को निर्देश देते हुए।

कुमार सिंह ने कहा कि, यह शासन की गई है, जिसमें विद्यालय के अधिकारी वाराणसी तथा प्रबंधक के आदेश के क्रम में यह उपरिवृत्ति अनिवार्य की गई है। इसके संदर्भ में सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है, जिन प्राध्यापकों द्वारा दिनांक 30 नवंबर तक बायोमे�ट्रिक उपरिवृत्ति दर्ज नहीं करायेंगे। उनका वेतन बिल प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि एक एक दिन दिवस 2023 से व्योमेट्रिक अनिवार्य रूप से लागू की गई है, एक दिवस वेतन को राहत देना चाहिए।

पहुंचकर अपनी -अपनी समस्याएँ रखी हैं। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस से संबंधित जन समस्याओं के निरसारण करने को संवृत्ति अधिकारियों को पहली प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने बारी-बारी से फरियादियों की समस्याओं को सुना। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निरसारण कर दिया गया। कुछ समस्याओं को लेकर अपने अधिनस्टों को दिशा देते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर सभी प्रार्थना पत्रों का हर हाल में निरसारण कर

# मेगा सेल्फ हेल्प समूह के स्टाल पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या जी का सम्मान केनरा बैंक के अंचल प्रमुख और महा प्रबंधक आलोक कुमार अग्रवाल जी ने किया

उत्तराखण्ड ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित मेगा बैंक क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम आयोजित



ब्लूरो चीफ आर एल पाण्डेय शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री जी लखनऊ। अन्योदय के लक्ष्यों की प्रतीकी की दिशा में उत्तरप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित मेगा बैंक क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम का आयोजन इदिया गोंधी प्रतिष्ठान, लखनऊ के सभागार में किया गया।

मिशन निदेशक द्वारा सभी का स्वागत करते हुए मिशन की प्रमुख घटकों में प्रगति एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियान्त्रिकी विभाग की अध्यक्षता में उत्प्रवाराज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित मेगा बैंक क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम का आयोजन इदिया गोंधी प्रतिष्ठान, लखनऊ के सभागार में किया गया।